संख्या -95/सीपी 413/84-2-2013-सीपी 16/2012

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 06 दिसम्बर 2013

विषय कम्प्यूटर आपरेटर का कार्य करने वाले कार्मिक का पारिश्रमिक बढाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2772/एससीडीआरसी यूपी/अधि एन 13/07, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन को यह अवगत कराने का कष्ट करें कि क्या नियत वेतन पर रखे गये व्यक्ति की सेवाओं की अपरिहार्यता है? क्या काज लिस्ट बनाये जाने का कार्य टी0एस0पी0 से कराया जाना सम्भव है?

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in